पटना नगर निगम
پٹنہ میونسپل کارپوریشن
PATNA MUNICIPAL CORPORATON

पटना कारपोरेशन

Letter No. / पत्रांक: 11953
Date / दिनांक: 07/10/2020

सेवा में,

श्री सहदेव यादव,
पिता– स्व० धनपत राय,
कुम्हरार, अगमकुआँ,
जिला– पटना, बिहार।

विषय :– **प्लॉन केस सं0–P/Jhali-PRN-G+3/101/2016 की स्वीकृति के संबंध में।**

महाशय,

आपके आवेदन संख्या– P/Jhali-PRN-G+3/101/2016 दिनांक–04.04.2016 के संदर्भ में श्री सहदेव यादव, पिता– स्व० धनपत राय, कुम्हरार, अगमकुआँ, जिला–पटना, बिहार के लिए भवन निर्माण के लिए पटना नगर निगम/ बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित.....विकास योजना/आयोजना प्राधिकार/ आयोजना स्कीम के सर्वे प्लॉट सं0–23, खाता नं0–09, तौजी नं0–603, थाना नं0–13, मौजा– झाली, जिला–पटना के बाबत निम्नलिखित शर्त्तो/ निर्वधनों के अध्याधीन एतद द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है।

(क) भूमि/भवन का उपयोग अनन्य रूप से व्यवसायिक प्रयोजन के लिए किया जाएगा और इस प्राधिकार के पूर्व अनुमोदन के बिना उपयोगों को किसी अन्य उपयोग के लिए परिवर्तित नहीं किया जाएगा।

(ख) विकास पूर्ण रूप से आवश्यक अनुमति के पृष्ठांकन के साथ संलग्न योजनाओं के अनुसार किया जाएगा।

(ग) अनुमोदित योजना में दर्शाया गया 675.94 वर्ग मीटर का पार्किंग स्थान खुला रखा जाएगा और इसके किसी भाग पर निर्माण नहीं किया जाएगा।

(घ) प्रस्तावित निर्माण वाली भूमि 6.15 मी0 से 6.15 मीटर चौड़ाई के अनुमोदित पहुँच मार्ग के माध्यम से सुगम्य होगी।

(ड़) प्रश्नगत भूमि आवेदक के विधिपूर्ण स्वामित्व एवं शांतिपूर्ण कब्जा में अवश्य हो।

(च) सड़क को मानक चौड़ाई तक और चौड़ी करने के लिए आवेदक, विभिन्न विकास योजना/ आयोजना प्राधिकारों/ या बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित किसी योजना स्कीम के अधीन आच्छादित सुसंगत आयोजना प्राधिकार/ग्राम पंचायत क्षेत्रों के अधीनस्थ पटना नगर निगमों को 0.00 वर्ग मीटर चौड़ी भूमि की पट्टी मुफ्त उपहार के रूप में देगा।

(छ) अनुमति (अनुज्ञा) जारी किये जाने की तारीख से तीन वर्षो की अवधि के लिए विधिमान्य होगी।

(ज) इस उपबंध के अधीन दी गयी अनुमति को उस भूखण्ड, जिसके लिए योजना अनुमोदित की गयी हो, के अधिकार, हक, हित की बाबत साक्ष्य नहीं मानी जाएगी।

For HRB Constructions

Proprietor

(झ) योजना के अनुमोदन के पश्चात् भू–अभिलेख के कारण या अधिकार/हक/ हित की बाबत कोई विवाद होने पर विवाद की अवधि के दौरान योजना का अनुमोदन स्वतः रद्द समझी जाएगी।

(ञ) भू–स्वामित्व एवं नक्शा से संबंधित समस्त दस्तावेजों/कागजात के सत्यता की जिम्मेवारी आवेदक की है। भविष्य में इसमें किसी प्रकार की त्रुटि/हेर–फेर/ कपटपूर्ण रचना पाये जाने पर नक्शा अस्वीकृत किये जाने के साथ आवेदक के विरूद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी।

(ट) भवन का निर्माण स्वीकृत नक्शे के अनुरूप हीं किये जाने, भविष्य में किसी भी प्रकार के अनिमितता/विचलन पाये जाने की स्थिति में सम्पूर्ण जबाबदेही आवेदक की होगी एवं विधि सम्मत कार्रवाई के पात्र होंगे।

(ठ) Environmental Protection Act के तहत् बहुमंजिले भवन के निर्माण के दौरान ढ़क कर निर्मोण किया जाना अनिवार्य होगा।

(ड) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम (Solid Waste Management Rules), 2016 कां अनुपालन किया जाय।

(ढ़) ग्रीन एरिया का प्रावधान बिहार भवन उपविधि, 2014 के कंडिका–32 के अनुरूप निर्माण परिसर में किया जाना अनिवार्य होगा।

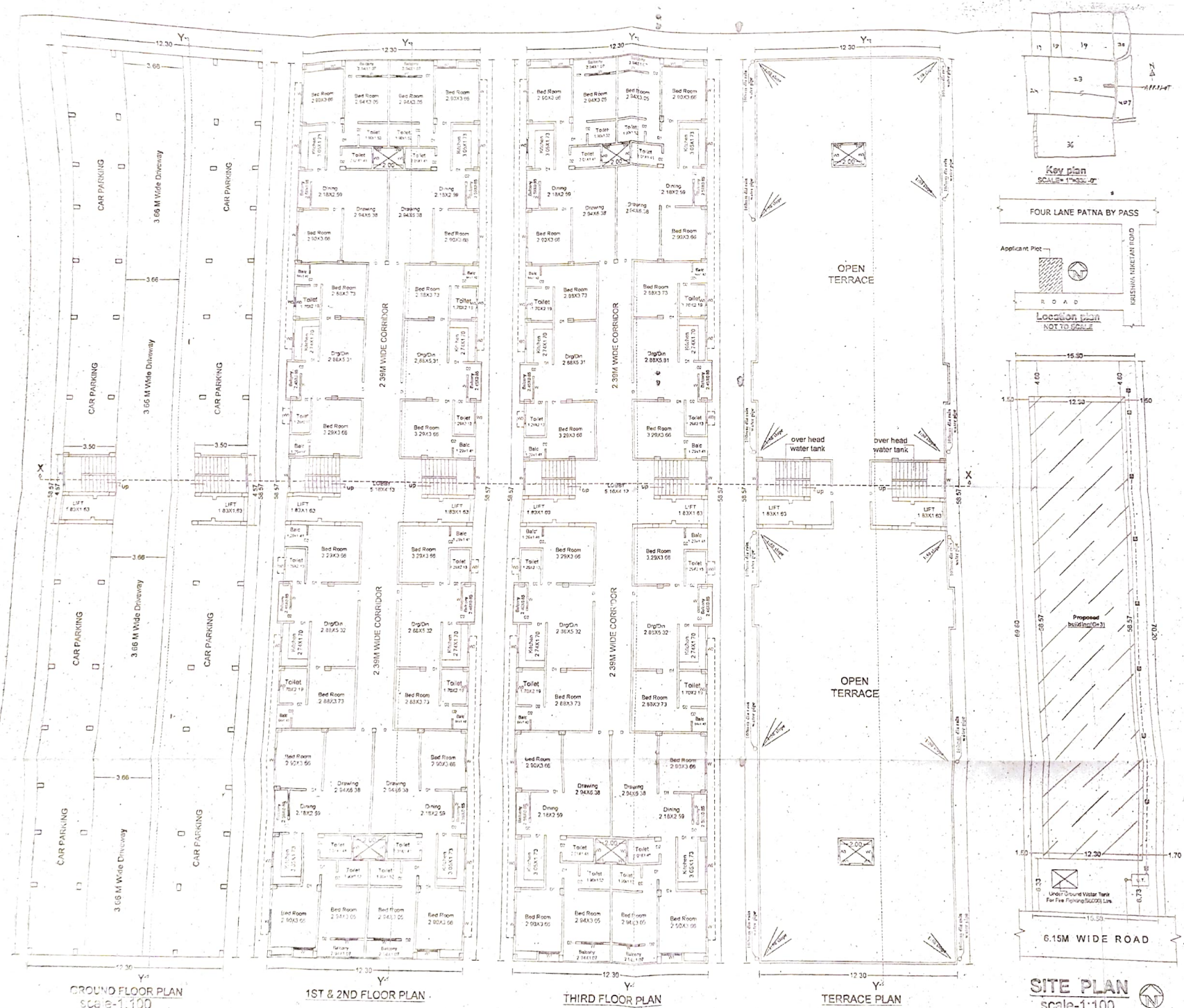
विश्वासभाजन,

7/10/2020

निदेशक,

शहरी योजना

पटना नगर निगम, पटना।



GROUND FLOOR PLAN
scale-1:100

1ST & 2ND FLOOR PLAN

THIRD FLOOR PLAN

TERRACE PLAN

SITE PLAN
scale-1:100

SCHEDULE OF DOORS AND WINDOWS

SL NO	TYPE	WIDTH	HEIGHT	S LVL	LINTEL LEV	REMARKS
1	D	1.07	2.59	0.00	2.59	PANNELED
2	D1	0.91	2.59	0.00	2.59	PANNELED
3	D2	0.76	2.59	0.00	2.59	PANNELED
4	W	1.37	1.68	0.91	2.59	PANNELED
5	W1	0.91	1.37	1.22	2.59	PANNELED
6	W2	0.61	1.22	1.47	2.59	PANNELED

AREA CALCULATION

TOTAL PLOT AREA AS PER DEED	= 1133.53 SQ.MT
TOTAL PLOT AREA AS PER SITE	= 1078.00 SQ.MT
TOTAL GROUND FLOOR BUILT UP AREA	= 31.99 SQ.MT
TOTAL FIRST FLOOR BUILT UP AREA	= 707.93 SQ.MT
TOTAL SECOND FLOOR BUILT UP AREA	= 707.93 SQ.MT
TOTAL THIRD FLOOR BUILT UP AREA	= 707.93 SQ.MT
TOTAL BUILT UP AREA	= 2155.78 SQ.MT
F.A.R.	- 1.99
COVERAGE	- 64.60%

PROPOSED RESIDENTIAL BUILDING OF SRI SAHDEV YADAV S/O LATE DHANPAT RAY, AT MAUZA- JHALI , P.S- ALAMGANJ , PRESENT THANA - GAURICHAK, THANA NO.- 13, TAUZI NO.- 603, KHATA NO.- 09, SURVEY PLOT NO.- 23(P) DIST - PATNA.

SCALE	NORTH	SHEET NO.
1:100	N	M-01

Shri Sahdev Yadav
L I C NO -ER-11/115

SIGNATURE OF OWNER | SIGNATURE OF ENGINEER

PATNA MUNICIPAL CORPORATION
PATNA REGIONAL DEVELOPMENT AUTHORITY (DISSOLVED)
P.U.Vide PRH-G-13) no.) 846 /16
Case No.
Sanction of Plan Accorded under Section 314, 315, 318 & 317 of the Patna Municipal Act 2007 by the Municipal Commissioner, Patna on.....
25/06/18
SANCTION OF PLAN ACCORDED

निदेशक
भवन निर्माण
पटना नगर निगम, पटना